छत्तीसगढ़ विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 2010 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 3 अगस्त, 2010 (श्रावण 12, 1932)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये राज्य वित्त के संबंध में भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सदस्य, सरगुजा जिले के वाड्रफनगर स्थित गोदामों में कनकीयुक्त चावल पाये जाने की ओर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री देवजी पटेल, राजू सिंह ठाकुर, सदस्य, जिला-धमतरी में एक डॉक्टर की हत्या संबंधी प्रकरण में पुलिस द्वारा लापरवाही बरते जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री जयसिंह अग्रवाल, सौरभ सिंह, सदस्य, कोरबा शहर में सी.सी.एन. केबल नेटवर्क द्वारा अनियमितता किए जाने की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री लेखराम साहू, सदस्य, जिला शिक्षा अधिकारी, धमतरी द्वारा फर्नीचर क्रय में अनियमितता किए जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री अजीत जोगी, डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, श्री कवासी लखमा, सदस्य, मेसर्स पुष्प स्टील एण्ड माईनिंग प्राईवेट लिमिटेड को अवैधानिक रूप से माईनिंग लीज एवं प्रोस्पेक्टिंग लायसेंस दिये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) सर्वश्री धर्मजीत सिंह, देवजी पटेल, सदस्य, कृषि उपज मण्डी समिति, रायपुर की जमीन निजी व्यक्ति / संस्थाओं को आवंटित किए जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) डॉ. शक्राजीत नायक, श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में एम.बी.बी.एस. दाखिलों में अनियमितता किए जाने की ओर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) सर्वश्री रविन्द्र चौबे, कुलदीप सिंह जुनेजा, देवजी पटेल, सदस्य, राजधानी रायपुर के तेलीबांधा में गौरवपथ निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) डॉ. हरिदास भारद्वाज, सदस्य, आदिवासी बाहुल्य ग्राम-सिंघोला के आश्रित वन ग्राम सुखड़ी गुदान(दल्लीराजहरा) में डायरिया बीमारी फैलने से लोगों की मौत होने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य, रायपुर नगर-निगम क्षेत्र अंतर्गत छत्तीसगढ़ नगर व धरम नगर के घरों में पानी भर जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री भोलाराम साहू, सदस्य, खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत आदिवासी कन्या छात्रावासों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने की ओर आदिम जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य, रायपुर के माना स्थित बाल संप्रेक्षण गृह से बाल अपराधी फरार होने की ओर समाज कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य, रायपुर तथा बिलासपुर नगरों में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन अंतर्गत् आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण न किए जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) श्री संतोष बाफना, सदस्य,राजीव गांधी शिक्षा मिशन अंतर्गत निर्माण कार्यों के थर्ड पार्टी वेल्युएशन में अनियमितता किए जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) श्री नंद कुमार पटेल, डॉ. शक्राजीत नायक, श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य, प्रदेश में डायरिया फैलने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) सर्वश्री धर्मजीत सिंह, देवजी पटेल, सदस्य, हसदेव बांगो परियोजना के अल्पवेतन भोगी कर्मचारियों को वेतन न मिलने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) श्री परेश बागबाहरा, सदस्य, नया रायपुर डेवलपमेन्ट अथारटी द्वारा वृत्तचित्र बनाने का कार्य एक कंपनी को दिये जाने में अनियमितता किए जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(18) श्री अमरजीत भगत, सदस्य, होलीक्रॉस कॉलेज, अम्बिकापुर में असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़-फोड़ किए जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(19) श्री रामजी भारती, सदस्य, जिला-राजनांदगांव अंतर्गत बोटेपार जलाशय निर्माण में अनियमितता किए जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(20) श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य,राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक - 200 की निविदा आमंत्रण में अनियमितता किए जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(21) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य, अकलतरा के समीप ग्राम-नरीयरा में वर्धा पावर प्लांट के निर्माण हेतु अवैधानिक रूप से भूमि अधिग्रहण किए जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(22) डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य, रायगढ़ एवं जशपुर जिले में चोरी, लूट एवं डकैती की वारदातों में वृद्धि होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(23) श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य, रायगढ़ एवं जशपुर जिले में मलेरिया की रोकथाम हेतु मच्छरदानी वितरित न किए जाने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(24) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य, जिला कबीरधाम में सकरी जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम अंतर्गत कराये गये कार्यों में फर्जी मस्टर रोल के आधार पर भुगतान किए जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(25) श्रीमती प्रतिमा चन्द्राकर, श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर, श्री भजन सिंह निरंकारी, सदस्य, दुर्ग ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम-अंडा स्थित पुलिस थाने में जनपद पंचायत सदस्य की शराब ठेकेदार के व्यक्तियों द्वारा पिटाई किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

क्रमशः 3

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री देवजी भाई पटेल, सभापति, प्राक्कलन समिति का प्रथम (कार्यान्वयन) प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री चैतराम साहू, सदस्य, रायपुर जिले के भाटापारा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मोपका में हायर सेकेण्डरी स्कूल हेतु भवन निर्माण करने तथा

(2) श्री दूजराम बौद्ध, सदस्य, पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत पामगढ़ मुख्यालय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था खोलने

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

6. राष्ट्रकुल संसदीय संघ के इंडिया एवं एशिया रीजन के सम्मेलन हेतु सभा भवन के उपयोग की अनुमति का प्रस्ताव

श्री बृजमोहन अग्रवाल,संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - ''छत्तीसगढ़ विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 271 (ख) को शिथिल कर माह अक्टूबर,2010 को रायपुर में आयोजित होने वाले राष्ट्रकुल संसदीय संघ के इंडिया एवं एशिया रीजन के सम्मेलन के आयोजन हेतु आवश्यकतानुसार सभा भवन के उपयोग की अनुमति दी जाये.''

7. प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि करने का प्रस्ताव

(1) श्रीमती सुमीत्रा मारकोले,सभापति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, प्रस्ताव करेंगी कि :- ग्राम हथबंध, जिला रायपुर स्थित गुरूकुल बाल आश्रम से एक बच्ची को बेचे जाने के संबंध में महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति को संदर्भित प्रकरण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक वृद्धि की जाये.

(2) श्री देवजी भाई पटेल, सभापति, सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति, प्रस्ताव करेंगे कि : - दिनांक 18 से 21 मार्च, 2010 तक बिलासपुर के विश्राम गृह एवं अन्य स्थानों पर ठहरने की व्यवस्था के दौरान शासन के निर्देशों, शिष्टाचार क्रम के पालन संबंधी कार्यवाही पर, सदस्य सुविधा एवं सम्मान समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक वृद्धि की जाये.

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

निर्धारित समय

15 मिनट (1) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 21 सन् 2010) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

क्रमश: 3

<u>निर्धारित समय</u>

45 मिनट (2) श्री बृजमोहन अग्रवाल, संस्कृति मंत्री,प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग विधेयक, 2010 (क्रमांक 22 सन् 2010) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

30 मिनट (3) श्री राजेश मूणत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 23 सन् 2010) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

1 घंटा (4) श्री अमर अग्रवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन विधेयक, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

रायपुर
दिनांक 2 अगस्त,2010

देवेन्द्र वर्मा
सचिव.